झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायत राज निदेशालय)

अधिसूचना

अक्टूबर 2002

जी०एस०आर- 1196 दिनांक- 17 अक्टूबर, 2002 - झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 90 की उपधारा (1) (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, निम्नलिखित झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2002 जिसके प्रारूप का प्रकाशन धारा 131 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार पूर्व में किया जा चुका है, बनाते हैं ।

झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2002

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2002" कही जा सकेगी;

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(2) परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "नियुक्ति पदाधिकारी" का तात्पर्य है जिले का दंडाधिकारी/उपायुक्त;

(ख) सरकार" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार;

(ग) "सेवा" का तात्पर्य है झारखण्ड पंचायत सचिव सेवा;

(घ) "पंचायत" का तात्पर्य है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अन्तर्गत गठित पंचायत;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा;

शेष पृष्ठ...2/..पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

§च§ "आयोग" का तात्पर्य है झारखण्ड लोक सेवा आयोग;

§छ§ "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य है सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति ।

§3§ सेवा की प्रस्थिति ।-

झारखण्ड पंचायत सचिव सेवा एक अराजपत्रित सेवा है ।

§4§ सेवा का संवर्ग ।-

§i§ पंचायत सचिव का जिला वार संवर्ग होगा;

§ii§ प्रत्येक पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव होगा;

§iii§ सेवा की समस्त संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय;

§iv§ नियुक्ति पदाधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या सरकार द्वारा उसे प्रस्थगित रखा जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

§v§ सरकार समय-समय पर सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन प्रकाशन करके कर सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

§5§ नियुक्ति का स्त्रोत ।-

सेवा में पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :-

§i§ पचास प्रतिशत पद ऐसे ग्राम रक्षा दल के दलपतियों में से जिन्होंने कम से कम दो वर्षों तक पंचायत की सेवा कर चुका हो;

§ii§ पचास प्रतिशत पद प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा ।

§6§ नियुक्ति में आरक्षण ।-

इस सेवा में जिला आरक्षण नीति के अनुरूप विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा ।

§7§ शैक्षणिक योग्यता ।-

§i§ सेवा के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र हो;

§ii§ ग्राम रक्षा दल के दलपति से भरे जानेवाले पदों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से कम से कम माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा दलपति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होना चाहिए ।

शेष पृष्ठ..........3/ पर.

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

§8§ उम्र-सीमा :-

§i§ सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा आयोजित होनेवाले वर्ष को 18 वर्ष से अधिक किन्तु अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पुरुष एवं महिला वर्ग को अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा महिलाएँ§अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग§ के लिए 3 वर्ष अधिक होगी;

§ii§ सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होगी;

§iii§ ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से सेवा में भरे जानेवाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष एवं महिलाएँ§अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग§के लिए 18 से 38 वर्ष होगी ।

§9§ चरित्र :-

सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति पदाधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

§10§ वैवाहिक प्रस्थिति :-

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है ।

§11§ शारीरिक स्वस्थता :-

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तबतक नियुक्त नहीं किया जायेगा जबतक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे वह अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उसे सिविल असिस्टेन्ट सर्जन का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

§12§ नियुक्ति की प्रक्रिया :-

§i§ रिक्तियों का अवधारणा - नियुक्ति पदाधिकारी वर्ष के दौरान भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों

पृष्ठ..........4/ पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

/पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जानेवाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा एवं रोस्टर समाधान कर प्रत्येक कोटि के लिए अलग अलग रिक्तियों की सूचना सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले रिक्त पदों एवं ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से भरे जानेवाले रिक्त पदों की अलग अलग सूचना निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा तथा निदेशक, पंचायत राज द्वारा सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करने हेतु सूचना आयोग को देगा । शेष पचास प्रतिशत पद नियुक्ति पदाधिकारी को ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से चयन हेतु कार्रवाई करने का निर्देश देगा;

{ii} सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया -

{क} प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायेगा जो भुगतान किए जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा;

{ख} किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तबतक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण पत्र न हो;

{ग} सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को उसी जिले के लिए आवेदन देना होगा जिस जिले के अन्तर्गत अभ्यर्थी निवास करता हो । इस हेतु आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा;

{घ} सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु ली जानेवाली परीक्षा की पद्धति वैसी होगी जैसा आयोग उचित समझे;

{ङ} आयोग सफल अभ्यर्थियों की एक सूची उनकी वरीयता के क्रम में प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे । सूची में नामों की संख्या अधिसूचित रिक्ति की संख्या के बराबर होगी । आयोग सूची निदेशक, पंचायत राज को अग्रसारित करेगा;

{च} आयोग द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची को संबंधित जिले के नियुक्ति पदाधिकारी को नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जायेगा तथा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी तथा निदेशक, पंचायत राज के निर्देश पर नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में दो माह का प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा;

{छ} प्रशिक्षणोपरांत नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा ।

{iii} ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से रिक्तियों का भरा जाना -

{i} नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में पंचायत सचिव के रिक्त पदों का पचास प्रतिशत

शेष पृष्ठ ....5/ पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

नियम-12§i§ के अन्तर्गत निदेशक,पंचायत राज द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई करेगा;

§ii§ नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर योग्य दलपतियों की संधारित वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा;

§iii§ सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन समिति के लिए जिला स्तर पर चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

§क§ जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त------------------------पदेन अध्यक्ष

§ख§ उप विकास आयुक्त------------------------------उपाध्यक्ष

§ग§ जिला से संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक,पंचायत राज------- सदस्य

§घ§ जिला पंचायत राज पदाधिकारी-------------------- सदस्य

§ड़§ जिला दंडाधिकारी द्वारा मनोनीत जिले का ऐसा पदाधिकारी जो अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति हो---- सदस्य

§च§ उप राज्य आयोजक,ग्राम रक्षा दल§मुख्यालय§------------ सदस्य

§iv§ चयन समिति द्वारा किए गये चयन पर निदेशक,पंचायत राज का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु नियुक्ति पदाधिकारी दलपतियों की वरीयता सूची के साथ भेजेगा;

§v§ निदेशक,पंचायत राज के अनुमोदनोपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में दो माह का प्रशिक्षण में भेजा जायेगा;

§vi§ प्रशिक्षणोपरांत नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा;

§vii§ चयन समिति द्वारा उतने अभ्यर्थियों का हीं चयन रिक्ति के विरुद्ध किया जायेगा,जितनी संख्या में सेवा में ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से नियुक्ति की जानी है ।

§13§ परिवीक्षा अवधि ।-

§i§ सीधी नियुक्ति या ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से सेवा में नियुक्त किए जाने की तिथि से प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

§ii§ यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है;

§iii§ ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवाएँ उपनियम§ii§ के अधीन समाप्त

शेष पृष्ठ....6/ पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

की जायें, किसी प्रकार का प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

§14§ स्थायीकरण :-

§i§ किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि:-

§क§ उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

§ख§ उसने सफलतापूर्वक कार्यों का निष्पादन किया हो;

§ग§ उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो;

§घ§ नियुक्ति पदाधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है;

§ii§ परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त उपनियम§i§ के शर्तों के संबंध में प्रतिवेदन निदेशक, पंचायत राज को भेंजे तथा निदेशक, पंचायत राज द्वारा नियुक्ति को स्थायी किया जायेगा, जिसकी सूचना नियुक्ति पदाधिकारी को दी जायेगी ।

§15§ वरीयता का निर्धारण :-

§i§ सीधी नियुक्ति में व्यक्तियों की परस्पर आपेक्षिक वरीयता वही होगी जो आयोग द्वारा उनके चयन के समय योग्यता क्रम में अवधारित की जाय;

§ii§ ग्राम रक्षा दल के दलपतियों से सेवा में नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर वरीयता उनके मौलिक रूप में नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी; परन्तु, यदि एक से अधिक व्यक्ति एक हीं दिनांक को नियुक्त किए जायें तो उनके नाम ग्राम रक्षा दल के संधारित वरीयता सूची के आधार पर अवधारित किया जायेगा ।

§16§ सीधे नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति किसी समुचित कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में असामान्य रूप से अधिक समय लेता है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारणों पर विचार कर कोटिक्रम सूची में उसका नाम अन्य व्यक्तियों के नीचे रखा जा सकता है ।

§17§ वेतनमान एवं भत्ते :-

§i§ इस नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता ऐसा होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय;

§ii§ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को अनुमान्य वेतन एवं भत्ते नियुक्ति की तिथि से देय होगा ।

शेष पृष्ठ........7 /पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

§18§ पदस्थापन एवं स्थानांतरण ।-

§i§ प्रशिक्षण प्राप्त पंचायत सचिवों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा;

§ii§ पंचायत सचिवों का पदस्थापन गृह प्रखण्ड में नहीं किया जायेगा;

§iii§ पंचायत सचिवों का स्थानांतरण जिला स्थापना समिति द्वारा किया जायेगा जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

§क§ जिला पदाधिकारी/उपायुक्त------------------ अध्यक्ष
§ख§ उप विकास आयुक्त------------------------उपाध्यक्ष
§ग§ जिला पंचायत राज पदाधिकारी--------------- सदस्य
§घ§ अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी---- सदस्य

§iv§ पंचायत सचिव का स्थानांतरण एक स्थान पर पदस्थापन के तीन वर्ष के उपरांत ही किया जायेगा;

परन्तु नियुक्ति पदाधिकारी परिस्थिति के अनुसार पदस्थापन के तीन वर्ष के पूर्व भी स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे,

§V§ पंचायत सचिवों का एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण की शक्ति निदेशक, पंचायत राज में निहित रहेगी ।

§19§ अनुशासनिक कार्रवाई ।-

सरकार द्वारा बिहार एंड उड़ीसा सबोर्डिनेट सर्विस मैनुअल-1935 के प्रावधानानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

§20§ पंचायत सचिवों के कर्तव्य ।-

§क§संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम की अनुसूची 11 में वर्णित कार्यों के सम्पादन के उत्तरदायी होना;

§ख§झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावली, उपनियमों, विभागीय आदेशों और अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना तथा ग्राम पंचायत को इससे अवगत कराना;

§ग§ग्राम पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखना तथा ग्राम पंचायत के पुराने अभिलेख को रजिस्टरांकित करने के पश्चात् सुरक्षित रखना;

§घ§पंचायत कार्यालय में कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहना;

§ङ§ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा उसकी सम्पत्ति को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना;

§च§इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों में विहित समस्त अभिलेख एवं रजिस्टर तैयार करना;

§छ§ ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के बैठक के लिए यथास्थिति मुखिया के अनुमोदन

शेष पृष्ठ ....8/ पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

से कार्यसूची तैयार करना;

{ढ} ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये संकल्प को मुखिया के हस्ताक्षर से एक प्रति बैठक में उसके पारित होने की तारीख से तीन दिनों के अन्दर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजना;

{ण} ग्राम पंचायत के मुखिया तथा सदस्यों और ग्राम सभा के सदस्यों को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के आधार पर सही सलाह देना और ऐसे किसी कार्य या संकल्प के मामलों में,जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के विरुद्ध हो,उनका ध्यान आकर्षित करना;

{त} अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमावली के उपबंधों के अनुसार मुखिया को स्थायी समिति गठित करने की सलाह देना;

{थ} स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्पों को ग्राम पंचायत के बैठक में रखना;

{द} यथास्थिति जिला,अनुमंडल,प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों के प्रमुख द्वारा तथा जिला परिषद,पंचायत समिति या विहित पदाधिकारी द्वारा जानकारी जब कभी मांगी जाय समयावधि में भेजना;

{ध} प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् ग्राम-पंचायत के बैठक में रखना तथा विहित पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर भेजना;

{न} ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का लेखा रखना तथा प्रत्येक वर्ष भौतिक रूप से सत्यापन ग्राम पंचायत को कराना;

{प} ग्राम पंचायत की सम्पत्ति,भवनों,पशुशाला,तालाबों,बगीचों,बाजार,मेला,भूमि खेल का मैदानों आदि की सुरक्षा तथा संधारण पर ध्यान देना और समय समय पर उसकी मरम्मत कराने हेतु ग्राम पंचायत को जानकारी देना;

{फ} ग्राम पंचायत की सम्पत्ति से राजस्व जैसे कर,सहायता अनुदान,भवन एवं भूमि का किराया और तालाब एवं मछली पालन,सिंघाड़ा उत्पादन,फलोद्यान, बगीचों आदि से प्राप्त राजस्व का लेखा रखना;

{ब} ग्रामपंचायत की सम्पत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क रहना और अतिक्रमण रोकने हेतु ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार कार्रवाई करना;

{भ} अधिनियम की धारा 10 एवं धारा 75 में यथा उपबंधित किए गये अनुसार ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के कृत्यों के निष्पादन की दिशा में आगे कार्रवाई करना;

{म} ग्राम पंचायत क्षेत्र की आधारभूत जानकारी रखना,जैसे:-

{i} ग्राम पंचायत की अधीनस्थ संस्थाएं जैसे बालवाड़ी,कांजीहाउस,वाचनालय,

आदि;

(ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाएँ, जैसे सहकारी संस्था, चिकित्सालय, स्कूल, साक्षरता कक्षाएँ, आँगनबाड़ी, पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएँ;

(iii) ग्राम पंचायत क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति;

(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के संबंध में जानकारी;

(v) रोजगार मूलक योजनाओं, राहत कार्य, संसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि के अधीन मंजूर किये गये कार्य के संबंध में व्यय तथा अन्य विशिष्टियाँ;

(प) ग्राम पंचायत की आय को ग्राम पंचायत निधि में जमा करना और उसका लेखा रखना तथा व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;

(फ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में पीने का पानी, साफ-सफाई तथा सड़क प्रकाश व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करना;

(ब) ग्राम पंचायत के निर्देश के अधीन राष्ट्रीय समारोह उत्सव जैसे-गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गाँधी जयन्ती आदि का आयोजन करना;

(भ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के, जो ग्राम पंचायत को अन्तरित की गई हो या ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन चलाई जा रही हों, निष्पादित करने में ग्राम पंचायत के निदेशानुसार कार्रवाई करना तथा कठिनाईयों को दूर करना;

(म) ग्राम पंचायत क्षेत्र में विवाह, जन्म तथा मृत्यु के अभिलेखों को संधारित रखना;

(य) ग्राम पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना तथा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना और ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के अनुमोदनोपरांत उसे पंचायत समिति को भेजना;

(र) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उसके सांविधिक किसी अन्य निकाय द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण में सहयोग देना;

(ल) ग्राम पंचायत क्षेत्र से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखना;

(व) ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को राहत कार्य में सक्रिय सहयोग देना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, आगजनी, सूखा, टिड्डी दल का आक्रमण, बिजली गिरने आदि विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;

(श) ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिनियम, नियमावली अथवा राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन सौंपे गये कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन में सहयोग

शेष पृष्ठ...... 10/पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

देना;

§घ§ ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना,जो अधिनियम या नियमों या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उसे सौंपे जाय;

§ड§ ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना,जो जैसा कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा उसे सौंपे जाय;

§ह§ पंचायत सचिव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रति प्रशासकीय रूप से जिम्मेदार होगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये विधिमान्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा ।

§21§ कठिनाईयों को दूर करना :-

यदि इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार,अवसर के अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा कुछ भी कर सकेगी,जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

§22§ निरसन तथा व्यावृति :-

इस नियमावली के तत्स्थानी वह समस्त नियमावली जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त थी,इस नियमावली के लागू होने की तारीख से एतद् द्वारा निरस्त की जाती है;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमावली के अधीन की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियमावली के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
§संचिका सं0-उप/नि1-211/2001§

सरकार के सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड ।

ज्ञापांक:- उपनि1-211/2001 1196 /, राँची,दिनांक 17.10.2002

प्रतिलिपि:- अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,डोरण्डा,राँची को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की पाँच सौ प्रतियाँ अविलम्ब पंचायत राज निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सरकार के सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड,राँची.

..11/..

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

ज्ञापांक:- उप/नि।- 211/2001----1196-----/, राँची, दिनांक- 17.10.2002

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप-विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित ।

सरकार के सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड, राँची.

ज्ञापांक:- उप/नि।- 211/2001----1196-----/, राँची, दिनांक- 17.10.2002

प्रतिलिपि:- झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड, राँची.

created using
BCL easyPDF
Printer Driver